

प्रारूप-ख (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूजाईकी संख्या : UPFS/2025/147993/KPN/KANPUR NAGAR/3964/CFO

दिनांक : 02-03-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मॅसर्स VIDYA NIKETAN EDUCATION CENTRE पता ARAZI 177 178 179 185 186,SAJARI,KANPUR NAGAR तहसील - SADAR प्लाट एरिया 2860.00 sq.mt (चगंमीटर), कुल फर्ड एरिया 1075.07 (चर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	1	0	4.40 mt.


है। भवन का अग्निभोग मॅसर्स VIDYA NIKETAN EDUCATION CENTRE द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनाबीसीए एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 08-03-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री CHANDRA MOHAN TIWARI E-Mail ID : tiwarimohan8888@gmail.com Mobile No. : 9616078888 के साथ किया गया। भवन में अग्निस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अग्निस्थापित रायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टीफिकेट) एनबीसीओ की आंगेयोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 10-03-2025 से 09-03-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मॅसर्स VIDYA NIKETAN EDUCATION CENTRE अग्निभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित रागावावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मॅसर्स VIDYA NIKETAN EDUCATION CENTRE अग्निभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

यह प्रमाणपत्र भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकार पर निर्गत किया जा रहा है। इसके अभाव में कानून पर निर्गत प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।

Note : Operational Since long, The NOC is issued as per NBC-2015 norms & DGFS Circular on 14.03.24 for GROUND FLOOR ONLY as per the Physical Site Inspection&Verification with Recommendations of FSSO K-7&Affidavit: 1.To Comply for Electrical Safety Audit for entire Premises as per FSES Rules 2024 and send the Compliance Evidence. 2.To Maintain Fire & Life Safety/Strike Management System as per the Norms Always. 3.To Comply for Bye Laws as per COMPETENT AUTHORITY Approval & The Drawing Approval is Mandatory from COMPETENT AUTHORITY. 4.Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation in above Conditions or any Violation In norms of COMPETENT AUTHORITY or False Report of FSSO.

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-03-2025

स्थान : KANPUR NAGAR



Manager

Vidya Niketan Education Centre
Sajari, Kanpur Nagar



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEEPAK SHARMA

0274717EED02725868B248D5D6D9135AD528C08F

10 03 2025

Note: Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.